न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-1178/2026

राजकिशोर सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

[परिवाद पत्र संख्या–1838/2022]

आदेश

20.05.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. राज किशोर सिंह** पे. रामजी सिंह एवं **2. प्रमिला देवी** पति राज किशोर सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1178/2026, परिवाद पत्र सं0–1838/2022, अंतर्गत धारा–323,324,325,504,506,417,418,427,406 भा.द.वि. पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री अनुप कुमार सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का मामला यह है कि घटना के करीब 2 वर्ष 6 माह पूर्व मुदालह नं0–1 के पुत्र विशाल परिवादी जो पंजाब के अंबाला में निर्माण कार्य में बतौर ठीकदारी का कार्य करता था, से फोन पर अनुरोध किया कि वह भी परिवादी के देखरेख में कार्य करना चाहता है, जिससे उसको भी फ्लैट के निर्माण कार्यों में रोजगार मिल जायेगा और भरण–पोषण का खर्चा निकल जायेगा। परिवादी ने अपने पैतृक गांव के बिरादरी के परिवार से संबंधित होने के कारण विशाल सिंह के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और वह परिवादी के घर पंजाब अंबाला चला गया। इस बीच वहां पर काम–धाम एवं रोजगार की लाकडाउन से कमी हो गई तो विशाल सिंह को घर वापस जाने की सलाह परिवादी ने दिया, लेकिन रोजगार की तलाश में विशाल सिंह 2 वर्ष 6 माह तक परिवादी के घर पर ही साथ में रहने लगा और अपने भरण–पोषण के लिए मो. 10000/–रूपया बतौर कर्ज भी परिवादी से इस आश्वासन पर लिया कि उसे वह अपने पैतृक गांव वापस जाकर परिवादी को भुगतान कर देगा। अलावे परिवादी का समय–समय पर विशाल के भरण–पोषण एवं जरूरतों को पूरा करने में भी लगभग 10000/–रूपया खर्च हुआ है जिसकी तारीख दर तारीख परिवादी ने अपने मोबाईल नं0 9348062790, 7658837325 में बजरूरत उपभोगतार्थ से सेव किया था। इस बीच परिवादी 4–5 दिन पूर्व अपने पैतृक घर पचरूखी में वापस आ गया जिसकी जानकारी मुदालहम को भी हो चुकी थी। घटना की तिथि एवं समय को मुदालहम बदनियत एवं साजिश के तहत पूर्व नियोजित आधार पर धोखाबाजी एवं छल–कपट से परिवादी को विशाल सिंह पर परिवादी द्वारा किए गये खर्च की राशि मो. 10000/–रूपया एवं कर्ज की दी गई 10000/– रूपया की अदायगी करने हेतु अपने दरवाजे पर आने की मैसेज उसके मोबाईल फोन पर भेजा जिसे पाकर परिवादी अपने भाई पिन्टु, बहन रमिता के साथ मुदालहम के घर पर गया तो सभी मुदालहम लाठी एवं डंडा तथा टांगी से पूर्व से लैश होकर गाली–गलौज एवं मारपीट करना शुरू कर दिया, मारपीट के क्रम में प्रमिला देवी ने टांगी से परिवादी के माथे पर जान मारने की नियत से मारकर फोड़ दिया, जिससे उसका माथा कट–फट गया और रक्त स्त्राव तेजी से होने लगा, इस बीच अन्य मुदालहम ने भी लांठी–डंडा, लात–घुस्सा से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिये। इसी क्रम में परिवादी के उपरोक्त नम्बर का मोबाईल फोन मुदालहम ने छीनकर तोड़फोड़ कर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे परिवादी को 20000/–रूपये की क्षति हुई। मुदालहम ने परिवादी उसकी बहन एवं भाई को गंभीर धमकी भी दिये कि उनके घर के एक लड़के विशाल सिंह पर किये गये खर्च की राशि का दोबारा मांग या दावा परिवादी करेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। दिनांक 29.08.2022 को 9 बजे सुबह में पचरूखी थाना पर नालिश करने परिवादी एवं गवाहान गये थे तो दारोगा जी उन्हें डांट–फटकार कर भगा दिया और केस दर्ज नहीं किया। इसके पूर्व पचरूखी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर परिवादी के माथे पर टांका सिलाई एवं जख्मों का बैण्डेज करा लिया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से डॉक्टर बेहतर इलाज एवं जांच पड़ताल हेतु सिवान सदर अस्पताल में रेफर कर दिया, जहॉ भी उपचार डाक्टर ने किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र सं0 1838/2022 दायर किया गया है जिसमें आवेदकगण को भी अभियुक्त बनाया गया है जिसमें दिनांक 13.03.2026 को संज्ञान लिया गया है और आवेदकगण को उपस्थिति हेतु समन निर्गत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। शिकायतकर्ता ने आवेदकगण को परेशान करने और आपराधिक प्रकिया का

न्यायालय–राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–सप्तम्, सिवान

A.B.P. No.-1178/2026

राजकिशोर सिंह एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार

[परिवाद पत्र संख्या–1838/2022]

दुरूप्रयोग करने के लिए गुप्त रूप ये विद्वान न्यायालय के समक्ष यह शिकायत दर्ज कराई और कुल नौ व्यक्तियों को आरोपी बनाया, जो झूठा आरोप है। आवेदकगण वचन देते है कि वह न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्त्तों का पालन करेंगे। आवेदकगण के भागने तथा अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई संभावना नहीं है। आवेदकगण उचित बंध पत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः उनके द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में कहा है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा एक परिवाद पत्र संख्या–1838/2022, अंतर्गत धारा–147,148,149,323,324,307, 120बी,506,406,379,427,429 भा.द.वि. में दिनांक–31.08.2022 को विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिवान के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसे विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा धारा–192 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत जांच एवं निष्पादन हेतु श्री स्पर्श अग्रवाल, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सिवान के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा जांच साक्ष्य के उपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला अंतर्गत धारा–323,324,325,504,506, 417,418,427,406 भा.द.वि. में पाकर अभियुक्त को विचारण हेतु आहुत किया गया। जमानत आवेदन के कंडिका–3 के अनुसार अभियुक्तगण/आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रस्तुत मामले में आरोपित सभी धारायें न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है और अधिकतम 7 वर्ष से दण्डनीय अपराध से संबंधित है इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्येन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. स्पेशल अपील नम्बर 5191/2021 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. राज किशोर सिंह** एवं **2. प्रमिला देवी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/–रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(राजेश कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम्,
सिवान।
दिनांक–20.05.2026

Date of Judgement/order	**20-05-2026**
Date of Reserving Judgement/ Order	**20-05-2026**
Date of Uploading	**23-05-2026**
Uploaded by	Chandan Kumar